अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कन्हैया बनाम बर्फी वगै0

किस्म मुकदमा– 251क रा0का0अ0 मु0नं0–24/2017

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2024	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अपने आवास जो कि ग्राम कैलाई के खसरा नम्बर 228 में बना हुआ है तक जाने हेतु खसरा नम्बर 219 एवं 224 में होकर रास्ता अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चाहा गया है। प्रकरण में उक्त रास्ता खसरा नम्बर 223 जो कि आबादी भूमि से प्रार्थी की भूमि तक चाहा गया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सिकराय खसरा नम्बर 224 में पशु बाडे बने हुए है ऐसी सूरत में खसरा नम्बर 224 में होकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 223 से खसरा नम्बर 228 तक जाने हेतु रास्ता चाहा गया है लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रार्थी की भूमि तक जाने हेतु सबसे छोटा मार्ग यही है अथवा नहीं। तथा प्रस्तावित रास्ता किसी रास्ते से लगता हुआ भी नहीं है बल्कि खसरा नम्बर 223 जो कि आबादी भूमि है से 228 तक चाहा गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 251क खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	